न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी - पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस.

वाद पत्र सं. 57/2020

निर्णय दिनांक 3.11.2020

पूर्णमल पुत्र उमा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी/प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

प्रतिवादी/अप्रार्थी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट / धारा 136 राज.भू-राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति - 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट - वास्ते वादी

2.पैरोकार राज - वास्ते प्रतिवादी

निर्णय

वादी ने यह वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट / धारा 136 राज.भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का पैश किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 58 तादादी 12.0700 हेक्टेयर रोही राऊ टीबा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित

उपखण्ड अधिकारी

है, यही विवादित कृषि भूमि है, वादी नाम अन्य सभी राजकीय दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता सूचि, पेन कार्ड आदि व कृषि भूमि खसरा नं. 553, 554, 555, 699/1081 कुल तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू में शुद्ध रूप से पूर्णमल दर्ज चला आ रहा है व वादी को घर में मुन्शी के नाम से भी पुकारा जाता है जिस कारण विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय घरेलु नाम मुन्शी बता दिया गया जिस कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अशुद्ध रूप से मुन्शी दर्ज कर दिया गया जिससे वादी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी किसान क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधाओं से वंचित रह रहा है । उक्त राजस्व रिकार्ड की लिपिकीय अशुधि के कारण वादी का नाम विवादित कृषि भूमि की जमाबंदियो में भी अशुद्ध रूप से पूर्णमल की जगह मुन्शी ही दर्ज चला आ रहा है जिस कारण वादी विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुन्शी की जगह पूर्णमल घोषित करवा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धी करवाने का अधिकारी है, वादी ने प्रतिवादी को काफी कहा व कि वे विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मुन्शी के स्थान पर पूर्णमल घोषित करवा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड अंकन कर देवें मगर स्पष्ट प्रतिवादी ने कर दिया जिस कारण वादी को वाद कारण व वादाधार हासिल है आदि आदी पैश किया,प्रतिवादी को सशुल्क तलब किया गया, प्रतिवादी ने अपना जबाब दावा जांच रिपोर्ट के रूप में पैश किया जिस जांच रिपोर्ट से वाद के तथ्यों की पुष्टि होती है अतः साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत दस्तावेजात व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से वाद पत्र की पुष्टि होती है अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 58 तादादी 12.0700 हेक्टेयर रोही राऊ टीबा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में खातेदार मुन्शी पुत्र उमा की जगह पूर्णमल पुत्र उमा घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश दिये जाते हैं । खर्चा वाद पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 3.11.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)